प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 51/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 दिनांकित 1 जनवरी 2020 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (दूसरा संशोधन) विनियम 2020 दिनांकित 1जनवरी, 2020 के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रसारकों को निर्देश जारी किया है।

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के तहत दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 दिनांकित 1 जनवरी 2020 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (दूसरा संशोधन) विनियम 2020 दिनांकित 1जनवरी, 2020 के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रसारकों को निर्देश जारी किया है।

२. प्राधिकरण ने 1 जनवरी 2020 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (दूसरा संशोधन) विनियम 2020 (इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020) अधिसूचित किए हैं।

3. क्षेत्र के उचित विकास को बढ़ावा देने और सेवा प्रदाताओं के हितों को संतुलित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 को बिना किसी देरी के लागू करना आवश्यक है।

4. तदनुसार, प्राधिकरण ने धारा 13 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, सभी प्रसारकों को 1 जनवरी 2020 के दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (दूसरा संशोधन) विनियम 2020 (इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020) के प्रावधानों के अनुपालन में चैनल के नाम, प्रकृति, भाषा, प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य और बुके का प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य, बुके की संरचना और संशोधित संदर्भ इंटरकनेक्टिड ऑफर (आरआईओ) की सूचना 10.08.2020 तक प्राधिकरण को देने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट्स पर इस तरह की जानकारियों को प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है।

5. निदेश का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर+ 91-11-23220209, फैक्स: -91- 11-23230056 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>